बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक प्र03–अ0–02–01/2013 3723 खाद्य/पटना, दिनांक-- 03.8.18

प्रेषक,

प्रतिभा सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषयः-- विभागीय स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश के अनुपालन में संबंधित आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारियों को नवपदस्थापन स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय आदेश ज्ञापांक--3093, 3094, 3095, 3096 एवं ज्ञापांक-- 3098 दिनांक-- 29.06.2018 द्वारा आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया था, उक्त के अनुपालन के निमित्त विभागीय पत्रांक-- 3491 दिनांक-- 23.07.2018 द्वारा विरमन एवं योगदान की सूचना विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित सूचना अभीतक विभाग को अप्राप्त है ।

अतः उपर्युक्त विभागीय आदेशों द्वारा स्थानांतरित आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारियों को यदि दिनांक-- 31.07.2018 तक विरमित नहीं किया गया है, तो वे आदेश के अनुपालन के निमित दिनांक 01.08.2018 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे । तदनुसार संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से सूचित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
(ह०) 3/8/18
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक-- प्र03–अ0--02–01/2013 3723 खाद्य/पटना, दिनांक– 03.08.18
प्रतिलिपि- विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

(ह०) 3/8/18
विशेष कार्य पदाधिकारी ।